



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49832

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2505 वर्ष 2026

संतोष कुमार सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव ने बार के समक्ष यह वक्तव्य दिया है कि उनके पास अनुदेश हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें आदेश दिनांक 19.02.2026 के अनुसरण में निर्देशित किया गया था, जो एस. एस. पी., आजमगढ़ के अनुदेश दिनांक 08.02.2026 हैं, उनके अनुसार, वे स्वयं में पर्याप्त हैं और वह कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है।
3. रिट याची का मामला यह है कि उसका चयन कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) के पद पर हुआ था और उसे 15.07.2002 को पुलिस अधीक्षक, भदोही के कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई थी और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्पश्चात्, उसे जिला गाजीपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। सितंबर, 2003 के महीने में, याची को पुलिस अधीक्षक, जिला गाजीपुर के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था और उसे सहायक उप निरीक्षक (एम) (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई थी और वाराणसी स्थानांतरित किया गया था और वर्ष 2014 में उसे वाराणसी में लेखा शाखा में स्थानांतरित किया गया था और तत्पश्चात्, उसे वर्ष 2016 में पी. ए. सी. में स्थानांतरित किया गया था और पुनः उसे वर्ष 2022 में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था। तथापि, रिट याची के अनुसार, अब अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी ज़ोन, वाराणसी द्वारा 17.09.2024 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा रिट याची को आजमगढ़ से जिला सोनभद्र स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. स्थानांतरण आदेश पर प्रश्न उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को एक क्षण के लिए भी बनाए नहीं रखा जा सकता है। उक्त निवेदन को विस्तार देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 17.09.2024 के स्थानांतरण आदेश में यह उल्लेख है कि रिट याची को पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ ज़ोन, आजमगढ़ की दिनांक 15.09.2024 की संस्तुति के आधार पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें यह संस्तुति की गई है कि इस संबंध में रिट याची को किसी दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। रिट याची का यह भी मामला है कि उन दंडों पर भरोसा करने का प्रयास किया गया है जिन्हें पहले ही वापस लिया जा चुका है।
6. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार किए गए निवेदन का खंडन करते हुए, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव निवेदन करते हैं कि रिट याची के पास किसी विशिष्ट स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अनुलंघनीय अधिकार नहीं है और उनके द्वारा प्राप्त अनुदेशों के अनुसार रिट याची के संपूर्ण सेवा अभिलेख में, उसे 3 लघु दंड और 8 परिनिंदा प्रविष्टियां दी गई हैं और, इस प्रकार, संस्तुति के आधार पर और समग्र सेवा अभिलेख को देखते हुए, रिट याची को स्थानांतरित किया गया है।
7. मैंने बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों को सुना है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. स्पष्ट रूप से, रिट याची एक पुलिस कर्मी है जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ ज़ोन, आजमगढ़ के संस्तुति पत्र दिनांक 15.09.2024 के आधार पर आदेश दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से आजमगढ़ से जिला सोनभद्र स्थानान्तरित किया गया है। दिनांक 17.09.2024 का आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:-

“आदेश

पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: सीओए-पाँच-(03)-2024-एसी-1/19340, दिनांक: 15-09-2024 द्वारा सहायक उप निरीक्षक (लेखा) 022760050 संतोष कुमार सिंह को जनपद-आजमगढ़ से दूरस्थ स्थानान्तरित किए जाने की संस्तुति के दृष्टिगत इन्हें जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड, वाराणसी के कार्यवृत्त संख्या: वीजेड-अट्ठारह (स० उ०नि०ले० स्था०)-2024-एसा-2, दिनांक: 17-09-2024 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जनहित में जनपद-आजमगढ़ से जनपद-सोनभद्र स्थानान्तरित किया जाता है।

(पीयूष मोर्डिया)

अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी ज़ोन, वाराणसी”

9. इसके अतिरिक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ ज़ोन, आजमगढ़ की संस्तुति दिनांक 15.09.2024 इस प्रकार है:-

"कृपया पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या:ज-308/2024 दिनांक: 12.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद आजमगढ़ में नियुक्त सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) 022760050 सन्तोष कुमार सिंह, जनपद बलिया के मूल निवासी हैं तथा जनपद आजमगढ़ में दिनांक 04.08.2022 से सहायक आंकिक के पद पर नियुक्त हैं। इनके द्वारा आये दिन नशे का सेवन कर राजकीय कार्यों में रुचि नहीं ली जाती है और कार्यालय में इधर-उधर घूमते रहते हैं, शाखा प्रभारी आंकिक द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद भी इनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2-सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) 022760050 सन्तोष कुमार सिंह के सेवा अभिलेख के अवलोकन से पाया गया है कि इनके द्वारा राजकीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर इनको तीन बार निलम्बित किया गया है, अनेकों बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन रहित तथा 01 बार वृहद दण्ड, 04 बार अर्थ दण्ड एवं 07 बार परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि यह कर्मी राजकीय कार्य के प्रति लापरवाह, उदासीन एवं अनुशासनहीन है, जिसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा इनको जनपद आजमगढ़ से दूरस्थ स्थानान्तरण किये जाने हेतु संस्तुति सहित सेवा विवरण उपलब्ध कराया गया है।

3-अतएव पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत सहायक उ०नि० (लेखा) 022760050 सन्तोष कुमार सिंह को जनपद आजमगढ़ से दूरस्थ स्थानान्तरित किये जाने हेतु इनका सेवा विवरण संलग्न कर संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।"

10. पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ ज़ोन, आजमगढ़ के संस्तुति पत्र दिनांक 15.09.2024 के सरसरी अवलोकन से यह प्रकट होगा कि स्थानांतरण आदेश रिट याची के सेवा अभिलेख के मूल्यांकन के आधार पर पारित किया गया था, जिसमें रिट याची के सेवा अभिलेख में एक दीर्घ दंड, 4 आर्थिक और 7 प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गई थीं। पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगढ़ ज़ोन, आजमगढ़ की संस्तुति दिनांक 15.09.2024 में यह उल्लेख भी है कि रिट याची ने लापरवाही और अनुशासनहीनता का आचरण प्रदर्शित किया है और, इस प्रकार, वह स्थानांतरित किए जाने का भागी है। न्यायालय की राय में, रिट याची को स्थानांतरित करते समय प्राधिकारियों के समक्ष विचारणीय बातें उन तत्वों से उत्पन्न होती हैं जो प्रकृति में दंडात्मक हैं। सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ (2009) 2 एस सी सी 592 में, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

"16. निर्विवाद रूप से स्थानांतरण का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि स्थानांतरण, जो सामान्यतः सेवा की एक घटना है, में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकारी की ओर से दुर्भावना सिद्ध होती है। दुर्भावना दो प्रकार की होती है - एक तथ्यतः विद्वेष और दूसरी विधितः विद्वेष।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रश्नागत आदेश विधितः विद्वेष के सिद्धांत को आकर्षित करेगा क्योंकि यह स्थानांतरण का आदेश पारित करने के लिए प्रासंगिक किसी भी कारक पर आधारित नहीं था और एक अप्रासंगिक आधार पर आधारित था, अर्थात् अनाम शिकायत में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर। यह कहना एक बात है कि नियोक्ता प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं में स्थानांतरण का आदेश पारित करने का हकदार है, परंतु यह कहना दूसरी बात है कि स्थानांतरण का आदेश दंड के रूप में या दंड के बदले पारित किया गया है। जब स्थानांतरण का आदेश दंड के बदले पारित किया जाता है, तो वह पूर्णतः अवैध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य होता है।”

11. चूंकि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश में अवचार से संबंधित तत्वों की गंध आती है, इस प्रकार, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। इस प्रक्रम पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव निवेदन करते हैं कि प्राधिकारियों को विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, चूंकि रिट याची ने पहले ही स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और तत्पश्चात, उसने स्थानांतरण आदेश पर प्रश्न उठाया है, इस प्रकार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित निबंधनों में किया जा रहा है:-

(क) अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी ज़ोन, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 निरस्त किया जाता है;

(ख) प्राधिकारी को विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

12. पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

13. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को पत्रावली पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।